

FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

..... बनाम

किस्म मुकदमा- पत्थरगढ़ी नं. सन् 2021

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख की तारीख में जारी हुए |
|------------|---|---|
| 6.12.2021 | <p>प्रार्थी की ओर से वकील श्री <u>नरिन्दर कुमार त्रेखा</u> ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत मय नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो बाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि नौजा <u>देववस</u> पटवार मण्डल <u>देववस</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>193</u> रकबा <u>2.24</u> हेक्टर/बोघा <u>225</u> हेक्टर के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीना चिन्ह नहीं है। तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ोसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीना को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अनिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्रार्थी जैर बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को <u>107</u> - अक्षरे <u>20</u> हजार रुपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे कारत ने दखल दिये नौजा <u>देववस</u> पटवार मण्डल <u>देववस</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>193</u> रकबा <u>2.24</u> हेक्टर/बोघा <u>225</u> हेक्टर है।</p> <p>मुकममल तौर पर की जावे।</p> <p>पत्थरगढ़ी पालना प्रतिवेदन दिनांक <u>31/12/21</u> तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली हो।</p> <p>पत्रावली फौसल सुमार होकर नम्बर में कम हो।</p> | |

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

